माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller @msuniversity.ac.in

पत्रांक : 107 / पी0ए0 / प0नि0 / एम0एस0यू0 / 2024–25 दिनांक : 16.11.2024

सेवा मे,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध / संघटक महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय :– सत्र 2024–25 में नवप्रवेशित बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को मेजर विषय, माईनर विषय, वोकेशनल / स्किल कोर्स तथा को–कुरिकुलर आदि विषयों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र 98 / पी0ए0 / प0नि0 / एम0एस0यू0 / 2024–25, दिनांक 09.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म खोले जाने हैं। बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024–25 हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 1049 / 06 / एके0 / MSU / 2024–25, दिनांक 24.09.2024 द्वारा मेजर विषय के साथ माईनर / स्किल डेवलेपमेंट / वोकेशनल / को–कुरिकुलर कोर्स विषय आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त के क्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों को उपरोक्त विषय आवंटन हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल दिनांक 16.11.2024 से दिनांक 23.11.2024 तक (महाविद्यालयों हेतु) खोला जा रहा है।

अतः समस्त महाविद्यालय स्नातक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0) के सत्र 2024–25 में नवप्रवेशित छात्रों के आवंटित मेजर विषय (जिन विषयों में विकल्प उपलब्ध हैं) से विकल्प का चुनाव कर माईनर विषय तथा वोकेशनल / स्किल डेवलेपमेंट / को–कुरिकुलर पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

परीक्षा नियन्त्रक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. कुलसचिव।
2. प्रवेश समन्वयक।
3. उपकुलसचिव।
4. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. अधिकृत एजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियन्त्रक

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller @msuniversity.ac.in

पत्रांक : ९४ /पी0ए0/प0नि0/एम0एस0यू0/2024–25 दिनांक : 09/10/2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय :– सत्र 2024–25 में नवप्रवेशित बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को मेजर विषय, माईनर विषय, वोकेशनल/स्किल कोर्स तथा को–कुरिकुलर आदि विषयों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, शैक्षणिक सत्र 2024–25 के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म खोले जाने हैं। बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024–25 हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 1049/06/एके0/MSU/2024–25, दिनांक 24.09.2024 द्वारा मेजर विषय के साथ माईनर/स्किल डेवलेपमेंट/वोकेशनल/को–कुरिकुलर कोर्स विषय आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त के क्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों को उपरोक्त विषय आवंटन हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल दिनांक 11.10.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक (महाविद्यालयों हेतु) खोला जा रहा है।

अतः समस्त महाविद्यालय स्नातक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0, बी0एस.सी0 एवं बी0कॉम0) के सत्र 2024–25 में नवप्रवेशित छात्रों के आवंटित मेजर विषय (जिन विषयों में विकल्प उपलब्ध हैं) से विकल्प का चुनाव कर माईनर विषय तथा वोकेशनल/स्किल डेवलेपमेंट/को–कुरिकुलर पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय,

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलसचिव।
2. प्रवेश समन्वयक।
3. उपकुलसचिव।
4. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

परीक्षा नियन्त्रक

1.

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1049/06 /एके0/MSU/2024–25 दिनांक : 24-9-24

कार्यालय ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र संख्या–2090/सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L-4), दिनांक : 02 सितम्बर, 2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे शैक्षिक सत्र 2024–25 से संशोधित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर, माइनर, वोकेशलन/स्किल एवं को–कोरिकुलर विषय निम्नानुसार आवंटित किये जायेगें :–

स्नातक पाठ्यक्रम

मेजर विषय किसी एक संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) से दो मेजर विषय/प्रश्न–पत्र लेना अनिवार्य है। लिये गये मेजर विषयों/पेपर के आधार पर ही संकाय का निर्धारण किया जायेगा। जिन दो मेजर विषयों में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जायेगा उन्हीं विषयों में विद्यार्थी अपना स्नातक पूर्ण करेगा। प्रथमतः चयनित दो विषय ही मेजर विषय के रूप में मान्य होगें।

माइनर विषय मुख्य चयनित संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से एक माइनर विषय/प्रश्न पत्र प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में लिया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में भी किसी एक सेमेस्टर में माइनर विषय/प्रश्न पत्र अन्य संकाय से लिया जाना अनिवार्य है। अन्य संकाय से तृतीय विषय के रूप में चयनित विषय ही माइनर विषय के रूप मे मान्य होगा। माइनर विषय स्नातक के दो वर्षो में ही लिया जायेगा।

वोकेशनल/स्किल कोर्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में वोकेशनल/स्किल कोर्स लेना अनिवार्य है।

को–कोरिकुलर कोर्स को–कोरिकुलर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में लिया जाना अनिवार्य है। को–कोरिकुलर की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की 100 अंको की होगी। इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत मेजर एवं माइनर विषय की भाति 33 प्रतिशत होगा। इसमें प्राप्त ग्रेड को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

शासन द्वारा सभी संकायों में (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) को–कोरिकुलर पाठ्यक्रम हेतु सेमेस्टरवार निम्नवत् प्रश्न–पत्र निर्धारित किये गये है :–

सेमेस्टर	प्रश्न पत्र का नाम
प्रथम	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health)
द्वितीय	मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies)
तृतीय	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
चतुर्थ	भारतीय भाषा का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" का अध्ययन करेगें तथा अन्य विद्यार्थी "भारतीय/स्थानीय भाषा" का अध्ययन करेगें।

शोध परियोजना

द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के पश्चात ग्रीष्मावकाश में दो मुख्य विषय में से किसी एव विषय से सम्बन्धित विषय पर 03 क्रेडिट की एक शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना पूर्ण करने के बाद ही विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण माना जायेगा।

विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

क्रेडिट निर्धारण — मेजर एवं माइनर विषय के प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु 06 क्रेडिट, वोकेशनल के प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु 03 क्रेडिट एवं को–कोरिकुलर के प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु 02 क्रेडिट निर्धारित है।

परास्नातक पाठ्यक्रम

- स्नातक चतुर्थ वर्ष (सप्तम सेमेस्टर)/परास्नातक छात्रों द्वारा पांच सैद्वांतिक प्रश्न–पत्र अथवा चार सैद्वांतिक एवं 01 प्रयोगात्मक प्रश्न–पत्रों (प्रयोगात्मक आधारित पाठ्यक्रमों में उल्लिखित मानको में विचलन किया जा सकता है) का अध्ययन किया जायेगा।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष (अष्ठम सेमेस्टर)/परास्नातक छात्रों द्वारा पांच सैद्वांतिक प्रश्न–पत्र अथवा चार सैद्वांतिक एवं 01 प्रयोगात्मक प्रश्न–पत्रों का अध्ययन किया जायेगा।

नोट :

01. सप्तम एवं अष्ठम सेमेस्टर हेतु कुल 40 क्रेडिट निर्धारित है।
02. नवम एवं उससे आगे के सेमेस्टर तथा शोध पाठ्यक्रमों हेतु अलग से नियमावली निर्गत की जायेगी।

शोध परियोजना

01. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम 06 सेमेस्टर (स्नातक त्रिवर्षीय) में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है वह स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।
02. स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।
03. पी0जी0डी0आर0 में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।
04. शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।
05. यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
06. स्नातक (मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Project Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में जमा करेगा।
07. पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Project Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
08. सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध + 25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होगे। पूर्णाक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।
09. स्नातक, स्नातक(मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

सतत आंतरिक मूल्यांकन

- मुख्य व माइनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंकों की परीक्षा करायी जायेगी।
- प्रयोगात्मक, को–कोरिकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नही है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी।
- वोकेशनल / स्किल कोर्स में सतत आंतरिक मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। वोकेशनल / स्किल कोर्स का मूल्यांकन पूर्व की भांति शासनादेश संख्या–1969 / सत्तर–3–2021, दिनांक : 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।
- सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत / विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेगी।

समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेशित छात्रों को उल्लिखित विवरण के अनुसार दो मेजर एवं एक माइनर विषय / प्रश्न–पत्र आवंटित करते हुये पठन–पाठन करना सुनिश्चित करें। शैक्षिक सत्र 2024–25 में प्रवेशित छात्रों हेतु विस्तृत नियमावली अलग से निर्गत की जायेगी।

नोट :–

01. शैक्षिक सत्र 2024–25 से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत अध्ययनरत् छात्रों हेतु पूर्व में निर्गत नियमावली यथावत् लागू रहेगी। पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेशित (2024–25 से पूर्व) छात्रों पर पुराने नियम लागू रहेगें।
02. विश्वविद्यालय के पत्रांकः 1066 / 06 / एके0 / एम0एस0यू0 / 2023–24 दिनांक 06.09.2023 द्वारा स्नातक कक्षाओं हेतु आवंटित माइनर इलेक्टिव पेपर की सूची / व्यवस्था संशोधित NEP-2020 शैक्षणिक सत्र 2024–25 से निष्प्रभावी होगी।
03. परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु सेमेस्टरवार प्रश्न–पत्र आदि का विवरण अलग से निर्गत किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. प्राचार्य / प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शैक्षिक सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों को उक्तानुसार विषय / प्रश्न–पत्र आवंटित कर पठन–पाठन / शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें।
02. समस्त संकायाध्यक्ष।
03. परीक्षा नियंत्रक।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
05. समस्त सम्पादक को इस आशय से प्रेषित कि वह छात्रहित में अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
06. निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
07. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
08. समस्त प्रभारी।
09. विश्वविद्यालय की अधिकृत एजेंसी।
10. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

उपकुलसचिव